न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2020-00297RAAJodhpur2020-126RTA223 Hanifo ors Vs Jahulhak etc

01. हनीफो पत्नी नूरखॉ
02. मोहम्मद खॉ पुत्र नूरखॉ
03. इलियास पुत्र नूरखॉ
04. सदीक पुत्र नूरखॉ
05. बरकत पुत्र नूरखॉ
06. अलादीन पुत्र नूरखॉ
07. पीरू पुत्र नूरखॉ नाबालिग जरिये संरक्षिका माता हनीफो पत्नी नूरखॉ

सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण– शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. जहुलहक पुत्र सिकंदर, जाति मुसलमान, निवासी– बैंगटीखुर्द, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 अगस्त 2020 सहायक कलक्टर लोहावट राजस्व मूल वाद संख्या 504/2020 जहूलहक बनाम हनीफो इत्यादि

उपस्थित–

श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1

नि र्ण य

दिनांक : 12 फरवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 504/2020 अनवान जहूलहक बनाम हनीफो इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 अगस्त 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 26 नवंबर 2020 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट के खसरा नं0 58 रकबा 72.05 बीघा में 1/10 हिस्से के संबंध में धारा 88, 188 एवं 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 16.09.2013 के आधार पर खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25 अगस्त 2020 को वाद स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट्स की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। नवीन सहायक कलक्टर न्यायालय के गठन से पत्रावली सहायक कलेक्टर फलोदी से दिनाक 18.12.19 को स्थानांतरित होकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक लोहावट में भेजी गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर लोहावाट द्वारा उक्त पत्रावली दिनांक 01.01.2020 को दर्ज करने के पश्चात सुनवाई हेतु न तो अपीलाण्टगण को नोटिस जारी किए गए न ही अपीलाण्टगण के अधिवक्ता को कोई सूचना दी गई, न ही अपीलाण्ट संख्या 2 को तामील हेतु कोई नोटिस जारी किया गया एवं अपीलाण्ट का जवाब दावा बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनाक 31.03.2020 को मुकर्रर की गई। तत्पश्चात कोविड बिमारी की वजह से दिनांक 05.08.2020 को अपीलाण्टगण की बिना किसी बहस सुने एवं राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार कि पक्षकारो की बिना उपस्थिति के कोई प्रभावी आदेश पारित नही किया जावे, के निर्देशों के विपरीत जाकर रेस्पोडेंट की एकतरफा बहस सुनकर दिनांक 25.08.2020 को एकतरफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरुद्ध एवं शून्य आदेश होने से काबिल निरस्त है। वादग्रस्त भूमि में अपीलाण्टगण चार ढाणियां, टांके, बाडे. व मदरसा इत्यादि बने हुए है। अपीलाण्टगण के पिता नूरखॉ द्वारा रेस्पोडेन्ट के पिता सिकन्दर को कोई आम मुखत्यारनामा निष्पादित नहीं किया गया। तथाकथित मुखत्यारनामा सरासर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

धोखे से फर्जी तरीके से अपीलाण्टगण के पिता नूरखॉ के अशिक्षित होने का फायदा उठाकर तैयार किया गया है। अपीलाण्टगण के पिता नूरखा द्वारा दिनाक 24.06.2013 को एक लाख रूपये जरिये इकरार नामा उधार लिए गए थे एवं जिसका इकरारनामा जरिये नोटेरी क्रंम सख्या 479 दिनाक 24.06.2013 को निष्पादित किया गया, जिसमें रेस्पोडेन्ट जाहुलहक ने साख दी थी व इलमदीन पुत्र शेर मोहम्मद, जिसने भी साख दी थी। उक्त इलमदीन व अपीलाण्ट के पिता नूरखॉ दोनो अशिक्षित थे एवं इस इकरारनामा की आड में रेस्पोडेन्ट के पिता सिकन्दर द्वारा दिनाक 24.06.2013 को एक आममुखत्यार नामा धोखे से अपीलाण्टगण के पिता नूरखा को बिना जानकारी दिए निष्पादित करवा दिया था, जिसमें इलमदीन व रेस्पोडेन्ट जहुलहक बतौर गवाह दर्ज है। अपीलाण्टगण के स्वर्गीय पिता नूरखा द्वारा रेस्पोडेन्ट के पिता सिकन्दर से ली गई एक लाख रूपये राशि अपने जीवनकाल में वापस अदा कर दी गई एवं मूल इकरारनामा दिनांक 24.06.2013 क्रम संख्या 479 नोटेरी पब्लिक फलोदी का वापस अपीलाण्टगण के पिता नूरखा को रेस्पोडेंट के पिता सिकन्दर द्वारा दे दिया गया। इस प्रकार अपीलांटगण के पिता तथा रेस्पोडेन्ट के पिता सिकन्दर के मध्य किसी भी प्रकार का लेन देन बकाया नहीं है। रेस्पोडेन्ट के पिता सिकन्दर द्वारा अपीलाण्टगण के पिता नूरखा को दिनांक 24.06.2013 के आममुखत्यार बाबत किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई एवं अपीलाण्ट के स्वर्गीय पिता नूरखा ने अपने जीवनकाल में कोई आममुखत्यारनामा न तो सिकन्दर को दिया न ही अपीलाण्टगण के स्वर्गीय पिता को उक्त आम मुखत्यारनामें के बारे में कोई जानकारी थी। आममुखत्यार नामा फर्जी व धोखे से करवाया था, जबकि खसरा नम्बर 50 रकबा 72 बीघा 5 बिस्वा भूमि में 1/10वा हिस्सा अपीलाण्टगण की एक पुश्तैनी ढाणी व तीन अन्य ढाणीयो टाके, बाडे इत्यादि बने हुए है। मौके पर जमीन दूसरे ट्यूबवैल से पानी लेकर सिंचित की हुई है। उक्त भूमि में मदरसा भी बना हुआ था। अगर अपीलाण्ट के स्वर्गीय पिता नूरखा द्वारा कोई आम मुखत्यारनामा निष्पादित किया जाता तो अवश्य ही इन सभी टाँवों का विवरण अंकित होता व भूमि के पड़ौस भी अंकित होते। इस प्रकार तथाकथित आम मुखत्यारनामा दिनाक 24.06.2013 रेस्पोडेन्ट के पिता सिकन्दर द्वारा छल पूर्वक धोखे से निष्पादित करवाया हुआ शून्य दस्तावेज है, जिसमें रेस्पोडेन्ट की भी साख है एवं उक्त फर्जी आम मुखत्यार दस्तावेज के आधार पर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में दिनांक 16.09.2013 को सरासर फर्जी तरीके से छलपूर्वक धोखे से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्राप्त आम मुखत्यारनामें के आधार पर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में बेचान नामा निष्पादित करवाया है जो अपीलाण्टगण के विरुद्ध शून्य दस्तावेज है एव ऐसे दस्तावेज के आधार पर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में किसी प्रकार का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं किया जा सकता है, न ही खातेंदारी की घोषणा की जा सकती है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने एक तरफा शून्य दस्तावेज के आधार पर निर्णय व डिकी कर भारी कानूनी भूल की है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने योग्य है। खसरा नम्बर 58 रकबा 72 बीघा 5 बिस्वा भूमि अपीलाण्टगण के परिवार की पुश्तैनी भूमि है जिस पर अपीलाण्टगण के परिवार का पीढ़ियों से रहवास चला आ रहा है। अपीलाण्टगण के पक्ष में तहसीलदार फलोदी द्वारा फौतेदगी का म्युटेशन अपीलाण्ट की बहनों के रजिस्टर्ड हकतर्क नामें के आधार पर एवं मौके पर कब्जे काश्त की जाँच कर अपीलाण्टगण के पिता नूरखा की मृत्यु के पश्चात अपीलाण्टगण के नाम दिनांक 08.06.2016 को स्वीकृत किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट को कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न नही होते है। अपीलांट्स की ओर से बेचाननामा व हकतर्कनामा निरस्त करवाने हेतु अलग से सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर चाराज्योही कर कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि में खसरा नम्बर 58 रकबा 72 बीघा 5 बिस्वा में सभी खातेदारो को न तो पक्षकार बनाया न ही मौका रिपोर्ट मंगवाई एवं न ही साक्ष्य ली गई एवं बिना किसी साक्ष्य के अन्तिम डिकी जारी कर दी गई, जबकि अधिनस्थ न्यायालय को पहले प्रारम्भिक डिकी जारी कर मौका रिपोर्ट प्राप्त करनी थी, उसके पश्चात अपीलाण्टगण की सुनवाई कर अन्तिम डिकी जारी की जा सकती थी, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के किसी गवाह के वाद साबित करने हेतु बयान रेकर्ड पर नहीं लिए गए, न ही तनकियात कायम की गई एवं कोविड के वक्त माननीय राजस्व मण्डल के आदेशों की अवहेलना कर एकपक्षीय सुनवाई कर एकतरफा निर्णय व डिकी रेस्पोडेन्ट को फायदा पहुँचाने के लिए शून्य आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्त है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर लोहावट के आदेश व डिक्री दिनांक 25.08.2020 की अपीलाण्टगण को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.11.2020 को हल्का पटवारी द्वारा दी गई व बताया कि आपकी भूमि की डिक्री व

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेश किया जा चुका है, जिस पर अपीलाण्ट संख्या 2 उसी दिन लोहावट जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश व डिक्री की प्रमाणित प्रति लिये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश व डिक्री की सम्पूर्ण जानकारी हुई एवं जानकारी होते ही अपीलाण्टगण ने अपना वकील नियुक्त कर जानकारी तिथि से अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत की है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 अगस्त 2020 को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्यक रूप से सम्मन तामील करवाये जाने पर उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। तत्पश्चात न तो अपीलांट्स विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट वादग्रस्त आराजी में 1/10 हिस्से में पंजीबद्ध दस्तावेज के जरिये सद्भाविक क्रेता है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी भूमि न होकर अपीलांट के पिता से रेस्पोडेंट की खरीदसुदा भूमि है। विचारण न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर वादी/रेस्पोडेंट का वाद स्वीकार किया है। अपीलांट्स का कथन है कि उनके द्वारा पंजीबद्ध विक्रय विलेख को सिविल न्यायालय में चुनौती दी गई है। इस संबंध में निवेदन है कि आज दिनांक तक रेस्पोडेंट के पक्ष में निष्पादित बेचाननामा प्रभावी है। अपीलांट्स को दावे की जानकारी पुलिस की एफ.आई.आर से पूर्व में हो चुकी थी। अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का भी सद्भाविक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा स्थानांतरित प्रकरण में पुनः अपीलांट्स को सम्मन जारी किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित किये जाने अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर नहीं होना लाजमी है। तत्समय कोविड–19 महामारी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकोप चलते लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते अपीलांट्स समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर पाये है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उनसे जवाब दावा लिये बिना, वाद एवं जवाब के आधार पर तनकीयात कायम किये बिना तथा उभय पक्ष से साक्ष्य लिये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि वादी/रेस्पोडेंट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपने वाद के समर्थन में न तो दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये तथा न ही अपनी ओर से कोई मौखिक साक्ष्य पेश किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी का वाद केवल वाद–पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना पाया जाता है।

अपीलांट्स की ओर से अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक फलोदी के समक्ष धारा 156(3) सी.आर.पी.सी. जुर्म अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आई.पी.सी. के तहत इस्तगासा पेश करने पर थानाधिकारी पुलिस थाना फलोदी दिनांक 03.10.2019 द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर मामला सिविल प्रकृति का होने का जाहिर किया है तथा अपीलांट्स की ओर से रेस्पोडेंट के पक्ष मे निष्पादित बेचाननामा को भी सिविल न्यायालय में चुनौती दी गई है, जिसमें बेचाननामा की वैधता/अवैधता का निर्णय होना है।

ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री वाद विचारण की प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 504/2020 अनवान जहूलहक बनाम हनीफो इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 अगस्त 2020 निरस्त किये जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वाद विचारण की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रक्रिया के तहत प्रतिवादीगण/अपीलांट्स को जवाब प्रस्तुति का अवसर प्रदान करते हुए वाद एवं जवाब के आधार पर मामले में तनकीयात कायम पर उस पर उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत मामले का विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर